

**दादरा और नगर हवेली और दमन और
दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: पहली और दूसरी मंजिल, विद्युत भवन, सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सचिवालय भवन के बगल में,
६६ केवी रोड, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव - ३९६२३०
सीआईएन: U40101DN2022GOI005707

सार्वजनिक सूचना

जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन (जेईआरसी) के समक्ष वित्त वर्ष २०२२-२३ के एआरआर की समीक्षा एवं वित्त वर्ष २०२३-२४ के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण के लिए दायर कि गयी याचिका के लिए सूचना

- पृष्ठभूमि जानकारी:** दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विद्युत अधिनियम २००३, की धारा ६१, ६२ और ६४ के जेईआरसी (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस) रेगुलेशन्स २००९ अनुसार और जेईआरसी (उत्पादन, परिष्करण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, २०२१ के तहत जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन (जेईआरसी) के समक्ष वित्त वर्ष २०२२-२३ के एआरआर की समीक्षा और वित्तीय वर्ष २०२३-२४ के लिए एआरआर और टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका संख्या ८९/२०२२ दायर की है। प्रस्तावित एआरआर की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
- वित्त वर्ष २०२२-२३ और वित्त वर्ष २०२३-२४ के लिए श्रेणीवार अंदाजित बिक्री, वितरण हानि और कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वर्ग	वित्त वर्ष २०२२-२३	वित्त वर्ष २०२३-२४
१	श्रेणीवार बिक्री (एमयू)		
i	घरेलू	३३४.९९	३७३.०७
ii	एलआइजी / कुटीर ज्योति	८.११	८.९७
iii	व्यावसायिक / गैर घरेलू	८६.१९	९०.६७
iv	कृषि	७.९५	८.४९
v	एलटी उद्योग	४५९.३९	४७९.७७
vi	एचटी / ईएचटी	८,५६७.८६	८,९१३.००
vii	पब्लिक लाइटिंग	७.७३	७.९६
viii	पब्लिक वाटर वर्क्स	७.९१	८.२१
ix	अस्थायी आपूर्ति	७.४०	७.७४
	कुल (एमयू)	९,४८७.५५	९,८९७.८७
२	वितरण हानि (%)	३.३५%	३.१६%
३	बिजली खरीद (एमयू)	१०,२९०.९५	१०,६९९.६२
४	कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) (रु. करोड़में)		
i	बिजली खरीद व्यय	४,८८४.७६	५,०५१.७२
ii	ओ एंड एम व्यय	९४.७९	९५.६१
iii	ऋण पर ब्याज	१३.५९	२२.७७
iv	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	२३.४३	२४.५३
v	मूल्यहास	१७.६४	२६.८५
vi	उपभोक्ता सुरक्षा पर ब्याज	७.८३	८.०४
vii	खराब ऋण	-	-
viii	लाभांश	२६.११	३५.५९
ix	आयकर	-	-
x	घटा: गैर-टैरिफ आय	३.६७	३.६७
xi	कुल राजस्व आवश्यकता	५,०६४.४७	५,२६१.४५
xii	बिजली की बिक्री से राजस्व	५,०५५.५८	५,२४१.३१
xiii	(अंतर) / अधिशेष	(८.८९)	(२०.१४)
xiv	पिछले वर्ष का (अंतर) / अधिशेष		(९.२५)
xv	कैरिंग कॉस्ट	(०.३६)	(१.५५)
xvi	संचित (अंतर) / अधिशेष	(९.२५)	(३०.९४)

- डीएनएचडीडी पीडीसीएल ने टूटिंग-अप प्रक्रिया के दौरान राजस्व अंतर को ध्यान पर लेने का प्रस्ताव दिया है। वित्तीय वर्ष २०२३-२४ के लिए श्रेणीवार टैरिफ संरचना का सारांश नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष २०२३-२४	
		निर्धारित शुल्क	उर्जा शुल्क
१	घरेलू		
	पहली १०० यूनिट	रु. १०/ केडब्ल्यू / माह	रु. १.६०/ केडब्ल्यूएच
	१०१ से २०० यूनिट		रु. २.३०/ केडब्ल्यूएच
	२०१ से ४०० यूनिट		रु. २.८०/ केडब्ल्यूएच
	४०१ यूनिट से अधिक		रु. ३.४०/ केडब्ल्यूएच
	लाईफ लाइन उपभोक्ता (केवल २X४० केडब्ल्यू बल्ब तक)	रु. १०/ केडब्ल्यू / माह	रु. १.००/ केडब्ल्यूएच
२	व्यावसायिक / गैर घरेलू		
	पहली १०० यूनिट	रु. २०/ केडब्ल्यू / माह	रु. ३.३५/ केडब्ल्यूएच
	१०१ यूनिट से अधिक		रु. ४.३५/ केडब्ल्यूएच
३	कृषि		
	१० एचपी तक के लोड के लिए	---	रु. ०.९०/ केडब्ल्यूएच
	१० एचपी से अधिक	---	रु. १.३०/ केडब्ल्यूएच
४	एलटी औद्योगिक		
	२० एचपी तक	रु. ३०/ एचपी / माह	रु. ३.६५/ केवीएच
	२० एचपी से अधिक	रु. ८०/ एचपी / माह	रु. ३.८५/ केवीएच
५	पब्लिक वाटर वर्क्स		
	२० एचपी तक	रु. ५०/ एचपी / माह	रु. ४.५०/ केडब्ल्यूएच
	२० एचपी से अधिक	रु. १००/ एचपी / माह	रु. ४.५०/ केडब्ल्यूएच
६	पब्लिक लाइटिंग		
	सभी यूनिट के लिए		रु. ४.३०/ केडब्ल्यूएच
७	एचटी / ईएचटी		
	११ केवी आपूर्ति	रु. ४००/ केवीए / माह	रु. ४.३०/ केवीएच
	६६ केवी आपूर्ति	रु. ५२५/ केवीए / माह	रु. ४.२०/ केवीएच
	२२० केवी आपूर्ति	रु. ५७५/ केवीए / माह	रु. ४.१५/ केवीएच
८	होर्डिंग		
	सभी उपभोक्ता	रु. ११०/ केवीए / माह	रु. ७.००/ केडब्ल्यूएच
९	ईवी चार्जिंग स्टेशन		
	एलटी श्रेणी		रु. ५.१०/ केवीएच
	एचटी श्रेणी		रु. ४.९०/ केवीएच
१०	अस्थायी आपूर्ति		
	अस्थायी आपूर्ति कनेक्शन के लिए टैरिफ, संबंधित स्थायी आपूर्ति श्रेणी के तहत निर्धारित/मांग शुल्क (यदि कोई हो) और ऊर्जा शुल्क (संबंधित स्लैब के लिए, यदि कोई हो) एवं दोनों का ५०% होगा। बहु-गतिविधि के अस्थायी आपूर्ति के लिए टैरिफ, व्यावसायिक/ गैर घरेलू श्रेणी के अस्थायी टैरिफ के अनुसार होगा।		

- उपरोक्त पैरा-१ में संदर्भित याचिका की प्रतियां डीएनएचडीडी पीडीसीएल के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं। सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट www.torrentpower.com पर भी उपलब्ध है।
- इच्छुक पक्षकार कार्यालय में कामकाज के समय के दौरान उपरोक्त एआरआर और टैरिफ प्रस्तावों का निरीक्षण/ अवलोकन कर सकते हैं। याचिका की प्रति पंजीकृत कार्यालय से १००/- रुपये के भुगतान पर ली जा सकती है।
- डीएनएचडीडी पीडीसीएल द्वारा दायर याचिका पर आपत्तियां/सुझाव, यदि कोई हो तो, दर्ज करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति सहायक विवरण और जेईआरसी (कन्डक्ट ऑफ बिजनेस) रेगुलेशन २००९ के फेर्म जेईआरसी-३ (अनुबंध-II) में दर्शाया गए शपथ पत्र के साथ, सचिव, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन (जेईआरसी) तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर ५५-५६, फेज ४, उद्योग विहार, सेक्टर - १८, गुरुग्राम, हरियाणा-१२२०१५ को व्यक्तिगत रूप से या ईमेल आई डी secy.jercuts@gov.in and raengg4-jercuts@govcontractor.in और chetanbundela@torrentpower.com पर या डाक के माध्यम से व्यक्ति का पूरा नाम और डाक का पता के साथ छह प्रतियां में प्रस्तुत करना होगा और एक प्रति डीएनएचडीडी पीडीसीएल को भी प्रस्तुत करनी होगी। यदि आपत्ति/सुझाव देने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी सुना जाना चाहता तो उसका उल्लेख करना होगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता